



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक :- 01/यो0ब0 -12/2021-73

दिनांक :-14.02.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत कुल रू0 600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) मात्र की राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-7/यो0बजट-40/2014-34/स्वी0 व0प0 दिनांक 08.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या-07/यो0बजट-40/2014-53/आ0 व0प0 दिनांक 08.02.2022।

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत कुल रू0 600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	"2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53-"राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान"	79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) इकाई	19S24060179653010679	600.00
कुल आवंटित राशि				600.00

ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

2. वर्तमान आवंटित राशि रू0 600.00 लाख (छः करोड़ रूपये) मात्र प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में - झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 53-राज्य जैव विविधता पर्षद को अनुदान योजना" विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के अन्तर्गत 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) इकाई में विकलनीय होगा।

*nm*

3. सदस्य सचिव के द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्य प्रस्तावित किया गया है :-
- (क) जैव विविधता का संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं इससे प्राप्त लाभार्थों का समुचित बंटवारा सुनिश्चित करना।
  - (ख) सभी स्थानीय निकाय स्तरों (4500 से अधिक) पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन।
  - (ग) तकनीकी सहायता समूहों का गठन एवं कार्यशाला का आयोजन।
  - (घ) जन जैव विविधता पंजी का निर्माण (पंचायत/नगर निकाय स्तरीय)।
  - (ङ) जैव विविधता पंजी का निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - (च) जैव विविधता विरासत स्थलों के अधिसूचना हेतु स्थलों का चयन एवं प्रबंधन।
  - (छ) जन जागरूकता अभियान हेतु कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन।
  - (ज) प्रचार-प्रसार सामग्रियों का मुद्रण इत्यादि।
  - (झ) पर्षद का सुदृढीकरण एवं प्रशासनिक व्यय इत्यादि।
4. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सदस्य सचिव की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को तुरंत देंगे। **नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी/सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।**
5. (i) उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की एक मुश्त निकासी कर सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव-विविधता पर्षद को उपलब्ध करायेंगे। निकासी की गई राशि को पी0एल0 खाता में रखा जाएगा।
- (ii) सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव-विविधता पर्षद द्वारा प्राप्त राशि का व्यय, लेखा-संधारण, अंकेक्षण, राशि का प्रत्यर्पण आदि वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदंड/निदेश के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) पर्षद को दी गई राशि/अनुदान राशि का अनुश्रवण एवं नियमानुसार समुचित कार्रवाई करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का होगा।
6. (i) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
- (ii) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
- (iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।
8. (i) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जायेगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी एवं सदस्य सचिव निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे –

(ii) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

(iii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा महालेखाकार को प्रेषित होने वाले लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iv) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर सदस्य सचिव, जैव-विविधता पर्षद, झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(v) भारत सरकार/NGT को आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) सभी सूचना राज्य जैव-विविधता पर्षद के पोर्टल/नियंत्री पदाधिकारी के स्तर पर portal पर संधारित किया जाय।

(vii) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश सदस्य सचिव, जैव-विविधता पर्षद, झारखण्ड निर्गत करें। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाए।

9. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

10. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना का कार्यान्वयन बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजना कार्यान्वयन के पूर्व सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त लिया जायेगा।

(iii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में ही किया जायेगा। सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) Income tax(IT)/ Service Tax (GST/VAT)/Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/Sub-disbursal/सदस्य सचिव सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(v) कंडिका-iv के के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO/ सदस्य सचिव का होगा।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।
13. वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।
14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव-विविधता पर्षद का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social Distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। COVID-19 protocol का अनुपालन किया जायेगा।
15. राशि का संधारण पी0एल0 खाते में करते हुए कुल राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
18. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
19. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
20. सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य जैव विविधता पर्षद को समर्पित की जायेगी।

विश्वासभाजन,

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0 -12/2021-73

दिनांक :-14.02.2022

प्रतिलिपि-अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड जैव-विविधता पर्षद, झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

**अनुलग्नक :- यथोक्त।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0 -12/2021-73

दिनांक :-14.02.2022

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।



## आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


घातृ वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नोक्तित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-12/2021/73

दिनांक - 14-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179653010679 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 53 - राज्य जैव विविधता पर्यद को अनुदान 01-राज्य जैव-विविधता पर्यद को अनुदान 06 - अन्दान	80054	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 79 - सहायता अन्दान सामान्य (गैर-वेतन)	60,000,000.00 रुपये छः करोड

State Scheme : NA  
Central Scheme : NA



योग: रुपये छः करोड  
क्रमिक योग:

60,000,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCO. DEV. JHARKHAND